रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-08022021-225010
CG-TN-E-08022021-225010

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2021/माघ 19, 1942
No. 60] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2021/MAGHA 19, 1942

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

अधिसूचना

चेन्नई, 28 मार्च, 2019

एफ सं. एचआरएमडी/पर्यवेक्षी/177/001.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) के अनुच्छेद 12 के उप खंड (2) को साथ में पढ़ते हुए, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारियों) के सेवा विनियम 1979 में संशोधन करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशकों के बोर्ड द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के साथ तथा केंद्र सरकार की पिछली मंज़ूरी के साथ यहाँ पर निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, अर्थात :-

(1) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा (पहला संशोधन) विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) जहां कहीं भी संबंधित विनियम में अन्यथा न कहा जाए, यह जून 2005 की 2 तारीख से लागू होगा।

2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 (यहाँ से इसे विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 3 में –

(i) खंड (f) में निम्नलिखित पद प्रतिस्थापित होंगे, यथा-

(f) "परिवार" का अर्थ अधिकारी की पत्नी/ पति (जो कि बैंक की कर्मचारी न हो), पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित संतान (आश्रित सौतेले तथा विधिक रूप से गोद लिए गए बच्चे) तथा सामान्य रूप से अधिकारी साथ रह रहे एवं उस पर पूर्ण रूप से आश्रित माता-पिता।

(ii) खंड (o) के लिए, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, यथा –

(o) "पूर्ण रूप से आश्रित संतान अथवा माता-पिता" का अर्थ उन बच्चों तथा माता-पिता से हैं जिनकी मासिक आय रुपए 2,550 प्रति माह से अधिक नहीं है।

नोट : यदि माता पिता में से किसी एक की भी आय रुपए 2,550/- से अधिक है अथवा माता पिता की संयुक्त रूप से कुल आय रुपए 2,550/- से अधिक है तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माना जाएगा;

3. उक्त विनियम में, विनियम 4 में, उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;

'(4) नवंबर 2002 की पहली तारीख को तथा उसी दिन से प्रत्येक पदक्रम के समक्ष विनिर्दिष्ट वेतन निम्नलिखितानुसार होंगे: -

(a) उच्च कार्यपालक ग्रेड:

स्केल VII – रुपए 29340 -$\frac{680}{2}$ – 30700 -$\frac{900}{1}$ – 31600 -$\frac{1000}{1}$- 32600

स्केल VI – रुपए 26620 - $\frac{680}{4}$ – 29340

(b) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड:

स्केल –V - रुपए 24140 – $\frac{620}{4}$ -26620

स्केल – IV – रुपए 20480 - $\frac{560}{5}$ – 21040 – $\frac{620}{5}$ - 24140

(c) मध्य प्रबंधन ग्रेड:

स्केल - III – रुपए 18240 – $\frac{560}{5}$ - 21040 – $\frac{620}{2}$ – 22280

स्केल – II – रुपए 13820 – $\frac{500}{1}$ – 14320 – $\frac{560}{10}$ – 19920

(d) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड:

स्केल - I - रुपए 10000 – $\frac{470}{6}$ -12820 -$\frac{500}{3}$ -14320 – $\frac{560}{7}$ – 18240

टिप्पणी : प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्तूबर 2002 से लागू वेतन के पदक्रम के अधीन है उनका स्केल वेतन 1 नवंबर 2002 के उप विनियम के अनुसार निर्धारित वेतनमान में स्टेज दर स्टेज आधार पर नियत होगा अर्थात संबंधित स्केल्स में प्रथम स्टेज से आगे के स्टेज पर होगा तथा यदि अन्यथा उपबंध न किया गया हो तो वेतनवृद्धियाँ सामान्य तौर पर वार्षिकी तारीख़ पर देय होंगी ।

(4A) उप-विनियम (1),(2),(3) एवं (4) से यह न माना जाए कि बैंक में हर समय इन सभी ग्रेड्स में अधिकारियों की आवश्यकता रहेगी और इन सभी ग्रेड्स में अधिकारी सेवारत रहेंगे ।

(e) उपर्युक्त विनियमों में, विनियमन 5 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, यथा : -

(f) वेतनवृद्धियाँ. - (1)विनियमन 4 के उप विनियमन 4 के तहत किए गए प्रावधानों के अधीन रहते हुए 1 नवंबर 2002 से दी जाने वाली वेतनवृद्धियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, यथा :

(g) विनियम 4 के उप-विनियम 4 में निर्धारित वेतनमान में विनिर्दिष्ट वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर उपार्जित होगी और यह जिस महीने में देय होगी उस महीने की पहली तारीख से मंजूर की जाएगी वशर्ते, इस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाती हो ।

(h) स्केल I तथा II के अधिकारियों के अपने संबंधित स्केल में अधिकतम स्तर तक पहुँचने के एक वर्ष बाद, जैसा कि निम्नलिखित खंड (c) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, अवरुद्ध वेतनवृद्धि सहित आगामी वेतनवृद्धि, अगले उच्चतर स्केल में ही प्रदान की जाएगी, बशर्ते सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्होंने अपनी दक्षता का पैमाना पार कर लिया हो ।

(i) उपर्युक्त खंड (b) में उल्लिखित अधिकारी सहित सभी अधिकारी, जो मध्यम प्रबंधन श्रेणी स्केल II तथा III के ग्रेड सेकेल के अधिकतम स्तर तक पहुँच चुके हैं वे स्केल II तथा III, जैसी भी स्थिति हो, के अंतिम स्तर पर पहुँचने के उपरांत सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण करने पर अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते यह स्केल II के अंतिम चरण के अधिकारियों के लिए अधिकतम ऐसी दो वेतनवृद्धियाँ प्रत्येक रुपए 560 की हों तथा स्केल III के लिए अंतिम चरण के अधिकारियों के लिए एक वेतन वृद्धि रुपए 620 की हो ।

और यह कि, 1 नवंबर 1994 तथा उसके बाद से मूल रूप से स्केल III के अधिकारी, अर्थात जिनकी भर्ती अथवा पदोन्नति स्केल III के रूप में हुई है वे पहली अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के तीन वर्षों के पश्चात दूसरी स्थायी वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे ।

और यह भी कि आगामी उच्चतर स्केल/अवरुद्ध वेतनवृद्धि में इस प्रकार की वेतनवृद्धियाँ उन अधिकारियों को नहीं मिलेंगी जो पदोन्नति प्रस्तावित करने पर उसे अस्वीकार कर देते हैं ।

नोट : आगामी उच्चतर स्केल में इस प्रकार की वेतनवृद्धियों को पदोन्नति की राशि नहीं माना जाएगा । यहाँ तक कि इस प्रकार की वेतनवृद्धियाँ प्राप्त करने के पश्चात भी ऐसे अधिकारियों को सुविधाएँ, अनुलाभ, कार्य, दायित्व, पद आदि स्केल I अथवा स्केल II जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार ही मिलते रहेंगे ।

(2) सीएआइआइबी/जेएआइआइबी एवं वित्त के भाग 1 और सीएआइआइबी की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर वेतनमान स्केल में एक-एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी ।

स्पष्टीकरण : (a) ऐसी स्थिति में, जबकि किसी अधिकारी ने बैंक में अपनी नियुक्ति की तारीख से पहले ही सीएआइआइबी की परीक्षा का भाग I अथवा भाग II उत्तीर्ण कर लिया है तो उसकी अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियाँ, जैसी भी स्थिति हो, उसकी नियुक्ति की तारीख से लागू होंगी बशर्ते, उसने एक भी वेतनवृद्धि प्राप्त न की हो अथवा परीक्षा के दोनों भागों को उत्तीर्ण करने के लिए केवल एक वेतन वृद्धि प्राप्त की हो ।

(b) 1 नवंबर 1987 को और उसके बाद से जो भी अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचे हैं अथवा पहुँच चुके हैं तथा पदोन्नति के अलावा किसी अन्य माध्यम से आगे बढ़ नहीं पा रहे है, उन्हें निम्नलिखित सूची में विनिर्दिष्टानुसार अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर व्यावसायिक योग्यता वेतन प्रदान किया जाएगा वशर्ते इस संबंध में सरकारी दिशानिर्देश अनुमति देते हों ।

तालिका

ऐसे सदस्य, जिन्होंने केवल सीएआइआइबी की परीक्षा का भाग I उत्तीर्ण कर लिया है	(i) एक वर्ष के बाद रुपए 100 प्रति माह जो कि अधिवर्षिता लाभ के लिए रुपए 75 के बराबर होंगे ।
ऐसे सदस्य, जिन्होंने सीएआइआइबी की परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिया है	(i) एक वर्ष के बाद रुपए 100 प्रति माह जो कि अधिवर्षिता लाभ के लिए रुपए 75 के बराबर होंगे ।
	(ii) दो वर्ष के बाद रुपए 250 प्रति माह जो कि अधिवर्षिता लाभ के लिए रुपए 200 के बराबर होंगे ।

(c) नवंबर 1994 की पहली तारीख तथा उसके बाद यदि अन्य चीजें यथावत हों तो व्यावसायिक योग्यता भत्ते की मात्रा निम्नलिखित सूची के अनुरूप संशोधित होंगी:-

तालिका

ऐसे सदस्य, जिन्होंने केवल सीएआइआइबी की परीक्षा का भाग I उत्तीर्ण कर लिया है	(i) स्केल के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद रुपए 120 प्रति माह
ऐसे सदस्य, जिन्होंने सीएआइआइबी की परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिया है	(i) स्केल के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद रुपए 120 प्रति माह; (ii) स्केल के शीर्ष पर पहुँचने के दो वर्ष के बाद रुपए 300 प्रति माह;

इसके साथ ही, जो भी अधिकारी विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (b) के उपबंधों के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं वे इस तरह के नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के एक वर्ष/ दो वर्ष बाद, जैसी स्थिति हो, भाग I अथवा भाग II के लिए क्रमशः व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त कर सकेंगे ।

(d) नवंबर 1999 की पहली तारीख तथा उसके बाद, अन्य चीजें समान हों तो, व्यावसायिक योग्यता वेतन की रक़म निम्नलिखित सूची के अनुरूप संशोधित होगी :-

तालिका

जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान की जूनियर असोसिएट परीक्षा अथवा सीएआइआइबी की परीक्षा का भाग I उत्तीर्ण कर लिया है :	(i) स्केल के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद रुपए 150 प्रति माह

जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान की जूनियर असोसिएट परीक्षा और सीएआइआइबी की परीक्षा अथवा सीएआइआइबी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिया है :	(i) स्केल के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद रुपए 150 प्रति माह (ii) स्केल के शीर्ष पर पहुँचने के दो वर्षों के बाद रुपए 360 प्रति माह

इसके साथ ही वे अधिकारी जो स्केल I तथा स्केल II में हैं तथा उप-विनियम (1) के भाग (b) के अनुसार अगले उच्च वेतनमान में जिन्हें आगे वेतनवृद्धि प्रदान की गई है, वे इस प्रकार के उच्च स्केल के अधिकतम पर पहुँचने पर, जैसी स्थिति हो, एक अथवा दो वर्ष के बाद व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त कर सकेंगे ।

(e) नवंबर 2002 की पहली तारीख तथा उसके बाद, अन्य चीजें समान हों तो, व्यावसायिक योग्यता वेतन की रक़म निम्नलिखित सूची के अनुरूप संशोधित होगी :-

तालिका

जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान की जूनियर असोसिएट परीक्षा अथवा सीएआइआइबी की परीक्षा का भाग I उत्तीर्ण कर लिया है :	(i) स्केल के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद रुपए 300 प्रति माह
ऐसे सदस्य, जिन्होंने सीएआइआइबी की परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(i) स्केल के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद रुपए 300 प्रति माह (ii) स्केल के शीर्ष पर पहुँचने के दो वर्षों के बाद रुपए 750 प्रति माह

इसके साथ ही वे अधिकारी जो स्केल I तथा स्केल II में हैं तथा उप-विनियम (1) के भाग (b) के अनुसार अगले उच्च वेतनमान में जिन्हें आगे वेतनवृद्धि प्रदान की गई है, वे इस प्रकार के उच्च स्केल के अधिकतम पर पहुँचने पर, जैसी स्थिति हो, एक अथवा दो वर्ष के बाद के बाद व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त कर सकेंगे ।

नोट : (i) यदि कोई अधिकारी, व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त कर रहा है, वह यदि अगले उच्च स्केल के लिए पदोन्नत हो जाता है तो ऐसे उच्च स्केल में उसके वेतन के नियतन के उपरांत जूनियर सीएआइआइबी/ सीएआइआइबी की परीक्षा पास करने पर उस स्केल विशेष में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक उसे अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ प्रदान की जाएँगी और यदि उस स्केल में किसी प्रकार की वेतनवृद्धि उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे अधिकारी वेतनवृद्धियों के स्थान पर व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।

(ii) नवंबर 1994 की पहली तारीख तथा उसके बाद से व्यावसायिक योग्यता वेतन अथवा पेशेवर योग्यता वेतन को, जो भी स्थिति हो, महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के साथ जोड़ा जाएगा ।

(iii) कोई अधिकारी प्रस्तावित पदोन्नति को यदि अस्वीकार कर देता है तो वह उपर्युक्त व्यावसायिक योग्यता वेतन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(iv) यदि कोई अधिकारी स्केल भुगतान की अधिकतम सीमा पर पहुँचने के बाद जेएआइआइबी अथवा सीएआइआइबी (कोई एक अथवा दोनों भाग) पास कर लेता है तो उसे ऐसी योग्यता को प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी तथा इसके बाद में, व्यावसायिक योग्यता वेतन का रिलीज़ किया जाना, व्यावसायिक योग्यता वेतन की प्रथम किस्त के रिलीज़ किए जाने की तारीख से, संदर्भित होगा ।

(v) यदि किसी अधिकारी ने जून 2005 की दूसरी तारीख से पहले ही, खण्ड (iv) में संदर्भित उपर्युक्त कोई योग्यता प्राप्त कर ली है तथा इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करने पर भी, उसने किसी प्रकार की वेतनवृद्धि अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त नहीं किया है तो योग्यता प्राप्त करने की तारीख अथवा नवंबर 2002 की पहली तारीख, जो भी बाद में हो, उस तारीख़ से, ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार उसे व्यावसायिक योग्यता वेतन रिलीज़ किया जाएगा ।

(3) (a) ऐसे सभी अधिकारी, जो नवंबर 1993 की पहली तारीख से बैंक की स्थायी सेवा में हैं उनके वेतनमान में एक अग्रिम वेतन वृद्धि तथा ऐसे अधिकारी जो 1 नवंबर 1993 को बैंक में परिवीक्षा पर हैं उनके स्थायी होने के एक वर्ष बाद अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त होगी ।

नोट : वार्षिक वेतनवृद्धि में अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आएगा ।

(b) कोई अधिकारी जो नवंबर 1993 की पहली तारीख को वेतनमान के अधिकतम स्तर में है अथवा जो अवरुद्ध वेतनवृद्धि(याँ) प्राप्त कर रहा है वह 1 नवंबर 1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा और यह रकम 1 नवंबर 1993 के अनुसार, पिछली वेतनवृद्धि सह देय महंगाई भत्ता सह विनियमन 22 में लागू शर्तों में तय की गई दरों के अनुसार आवास किराया भत्ता और मकान किराया भत्ता सहित नियत वैयक्तिक भत्ता, यदि कोई हो, के बराबर होगी और निम्नांकित तालिका में विनिर्दिष्टानुसार, आगे किसी भी तरह का संशोधन किए जाने तक यह वैध बनी रहेगी ।

तालिका

वेतनवृद्धि का घटक	वेतनवृद्धि के घटक पर 01.11.1993 के अनुसार महंगाई भत्ता	जहाँ बैंक द्वारा आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई हो वहाँ कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(A) रुपए	(B) रुपए	(C) रुपए
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.0	411

(c) नवंबर 1999 की 1 तारीख से तथा उसके बाद से, यदि अन्य चीजें समान हों तो, आवास किराया भत्ता सहित नियत वैयक्तिक भत्ता, यदि कोई हो, तो यह नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा:-

तालिका

वेतनवृद्धि का घटक	वेतनवृद्धि के घटक पर 01.11.1997 के अनुसार महंगाई भत्ता	जहाँ बैंक द्वारा आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई हो वहाँ कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(A) रुपए	(B) रुपए	(C) रुपए
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(d) नवंबर 2004 की 1 तारीख से तथा उसके बाद से, यदि अन्य चीजें समान हों तो, आवास किराया भत्ता सहित नियत वैयक्तिक भत्ता, यदि कोई हो, तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा और यह समूची सेवा अवधि के लिए स्थिर बना रहेगा :-

तालिका

वेतनवृद्धि का घटक	वेतनवृद्धि के घटक पर 01.11.2002 के अनुसार महंगाई भत्ता	जहाँ बैंक द्वारा आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई हो वहाँ कुल नियत वैयक्तिक वेतन
(A) रुपए	(B) रुपए	(C) रुपए
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

नोट : (I) जैसा कि विनियम 5 के उप विनियमन (3) खंड (b), (c), (d) की तालिका के कॉलम (c) में दर्शाया गया है नियत वैयक्तिक भत्ता / नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें कि बैंक द्वारा आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ।

(ii) आवास किराया भत्ता के लिए पात्रता रखने वाले अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता / नियत वैयक्तिक वेतन विनियम 4 के उप विनियम (2) तथा (3) में निर्दिष्टानुसार, सम्बन्धित स्केल की वेतनवृद्धि के घटक पर, संबंधित अधिकारी द्वारा आहरित, विनियम 5 के उप विनियम (3) के खंड (b), (c), (d) में विनिर्दिष्टानुसार (A) +(B) + आवास किराया भत्ता होगा ।

(iii) नवंबर 1999 की 1 तारीख तथा उसके बाद से स्थायी वैयक्तिक वेतन दिए जाने के बारे में जैसा कि उप- विनियमन (2) के उदाहरण (c) में बताया गया है, व्यावसायिक योग्यता वेतन रिलीज़ की जाने वाली अनुसूची में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

साथ ही यह भी कि जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जिसे पूर्व में प्रावधान के कारण एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया है और जिसे 1 नवंबर 1999 के बाद जारी किया जाना है तो, अधिकारी को व्यावसायिक योग्यता वेतन की यह किस्त उसी तारीख़ को रिलीज़ की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, तो इसे 1 नवंबर 2000 को रिलीज़ की जाएगी ।

(iv) नियत वैयक्तिक भत्ता / नियत वैयक्तिक वेतन का वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभों में जोड़ा जाएगा ।

(e) जैसा कि उपर्युक्त खंड (a) में बताया गया है कि कोई अधिकारी, जिसने अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त की है वह नियत वैयक्तिक भत्ता / नियत वैयक्तिक वेतन, उपर्युक्त खंड (b), (c) अथवा (d) में किए गए उल्लेख के अनुसार अपने स्केल के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष के पश्चात प्राप्त कर सकेगा ।

5. उपर्युक्त विनियम में, विनियम 21, में उप विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किए गए है । यथा :-

(4) 1 नवंबर 2002 से महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी:

(a) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कामकाजी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 में, 2288 पाइंट्स से ऊपर, प्रत्येक 4 पाइंट्स की बढ़त अथवा कमी पर दिया जाएगा ।

(b) 1 नवंबर 2002 से 31 जनवरी 2005 के दौरान महंगाई भत्ते का भुगतान निम्नलिखित दरों के अनुसार होगा :

(i) वेतन का 0.18%, रुपए 9,650 तक

(ii) वेतन का 0.15%, रुपए 9,650 से रुपए 15,350 तक

(iii) वेतन का 0.09% रुपए 15,650 से रुपए 16,350 तक

(iv) वेतन का 0.04% रुपए 16,350 तक

(c) 1 फरवरी 2005 को तथा उसके बाद महंगाई भत्ता वेतन का 0.18% देय होगा ।

नोट : (A) महंगाई भत्ते के भुगतान के मामले में वेतन, अवरुद्ध वेतनवृद्धियां सहित मूल वेतन होगा ।

(B) व्यावसायिक योग्यता भत्ता अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन, जैसा कि विनियम 5 के उप–विनियम (2) के खंड (c), (d) तथा (e) स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट किया गया है, महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाएगा ।

6) उपर्युक्त विनियम में, विनियम 22 के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया गया है । यथा :-

22. आवास किराया भत्ता – (1)(a) 1 नवंबर 1999 को तथा उसके बाद से, जब किसी अधिकारी को रहने के लिए बैंक द्वारा आवास की सुविधा प्रदान की जाती है तो उसके वेतनमान के प्रारंभिक स्टेज में, जहाँ कि उसे नियत किया गया है, उसके मूल वेतन के 2.5% बराबर की रकम अथवा आवास के लिए मानक किराया की रकम, इनमें से जो कम हो, वसूल किया जाएगा ।

(b) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा किसी प्रकार की आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कारवाई गई है तो वह 1 नवंबर 1999 को तथा उसके बाद से निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्टानुसार, आवास किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा । यथा :

तालिका

जहां पर कार्यरत हों	देय आवास किराया भत्ता
1	2
सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप समय समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'A' क्लास शहर और A समूह में आने वाले परियोजना क्षेत्र	प्रतिमाह के वेतन का 9%
क्षेत्र I में निर्धारित स्थान और समूह 'B' में परियोजना क्षेत्र के केंद्र	प्रतिमाह के वेतन का 8%
क्षेत्र II, अर्थात, उपर्युक्त (I) तथा (II) में शामिल न किए गए अन्य सभी स्थान	प्रतिमाह के वेतन का 7%

साथ ही यह भी कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद देता है और वह रकम उसके वेतनमान के पहले चरण में, जहाँ कि उसे नियत किया गया है, उसके 2.5% से भी अधिक हो तो आवासीय मकान के लिए उसके द्वारा अदा किया गया वास्तविक किराया अथवा, उपर्युक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार देय आवास किराया भत्ता का 150%, इनमें से जो भी कम हो, देय होगा ।

(2) (a) 1 नवंबर 2002 को तथा उसके बाद से जहां कि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उसके वेतनमान के पहले चरण में, जहाँ कि उसे नियत किया गया है, उसमें से उसके मूल वेतन के 1.75% के बराबर की रकम अथवा आवास के लिए मानक किराया, इसमें से जो भी कम हो, की वसूली की जाएगी ।

(b) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है वह 1 नवंबर 2002 को तथा उसके बाद निम्नलिखित तालिका में दिए गए ब्योरों के अनुसार आवास किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, यथा :

तालिका

जहां पर कार्यरत हों	देय आवास किराया भत्ता
1	2
(j) प्रमुख 'A' क्लास शहर और A समूह में आने वाले परियोजना क्षेत्र	वेतन का 8.5%
(k) क्षेत्र I के अन्य स्थान तथा समूह 'B' समूह में आने वाले परियोजना क्षेत्र	वेतन का 7.5%
(l) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

साथ ही यह भी कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद देता है और वह रकम उसके वेतनमान के पहले चरण में, जहाँ कि उसे नियत किया गया है, उसके 1.75% से भी अधिक हो तो आवासीय मकान के लिए उसके द्वारा अदा किया गया वास्तविक किराया अथवा, उपर्युक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार देय आवास किराया भत्ता का अधिकतम 150%, इनमें से जो भी कम हो, देय होगा ।

(3) जहां कोई अधिकारी अपने निजी आवास में रहता है तो यह मानते हुए कि वह निम्नलिखित (A) अथवा (B) के उच्चतर 1/12 के बराबर मासिक किराया अदा कर रहा है, वह उप-विनियम (1) के खंड (b) तथा उप-विनियम (2) के खंड (1) में किए गए उल्लेख के आधार पर, आवास किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

(A)

निम्नलिखित का योग :-

(m) आवास के संबंध में देय नगरपालिका-कर ; और

(n) भूमि की लागत सहित आवास की पूँजीगत लागत का 12% और यदि आवास इमारत का हिस्सा है, तो एयर कंडीशनर आदि जैसे विशेष जुड़नारों से इतर, उस आवास को प्राप्त करने के लिए भूमि की पूँजीगत लागत का आनुपातिक अंश होगा ; अथवा

(B)

आवास के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित वार्षिक किराए का मूल्य ।

स्पष्टीकरण :

(o) इस विनियम के अनुसार "मानक किराया" का अर्थ" :

(p) बैंक द्वारा ख़रीदे गए किसी आवास के मामले में, मानक किराए का परिकलन, सरकार द्वारा वर्तमान में लागू ऐसे परिकलनों के लिए अपनाई जाने वाली प्रविधि के अनुसार होगी ।

(q) जहाँ बैंक द्वारा आवास स्थान किराए पर लिया गया है, बैंक के द्वारा अनुबंधित किराए की देय रकम अथवा उपर्युक्त (A) विनिर्दिष्ट प्रविधि के आधार पर परिकलित किराया, इनमें से जो भी कम हो, वही किराया देय होगा ।

(r) आवास किराया भत्ता के मामले में वेतन का अर्थ, अवरुद्ध वेतनवृद्धियों सहित मूल वेतन होगा ।

(s) व्यावसायिक योग्यता भत्ता अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन, जैसी भी स्थिति हो, 1 नवंबर 1994 से आवास किराया भत्ता के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

(t) इस विनियम के उप-विनियमन (1) और (2) के उद्देश्य के लिए, और विनियम 23 के अनुसार, एरिया I तथा एरिया II का अर्थ निम्नलिखित होगा : -

एरिया I - ऐसे स्थान जहां की जनसंख्या 12 लाख से अधिक है ।

एरिया II - वे सभी स्थान जो एरिया I में नहीं आते ।

7. उपर्युक्त विनियम में, विनियम 23 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया गया है, यथा : -

23. अन्य भत्ते:

(1) 1 नवम्बर 2002 को तथा उसके बाद से कोई भी अधिकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, यथा :-

तालिका

स्थान	दरें
(1)	(2)
(u) एरिया I और गोवा राज्य में स्थित स्थान	मूल वेतन का 4%, बशर्ते इसकी सीमा अधिकतम रुपए 540 प्रति माह हो
(v) ऐसे स्थान, जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है और राज्यों की राजधानियाँ तथा चंडीगढ़, पॉण्डिचेरी, पोर्ट ब्लेयर जो उपर्युक्त (a) के तहत शामिल नहीं हैं।	मूल वेतन का 3% बशर्ते इसकी सीमा अधिकतम रुपए 375 प्रति माह हो।
(w) अन्य स्थान	शून्य

(2) 1 नवम्बर 2002 को तथा उसके बाद से विशेष क्षेत्र भत्तों की दर इन विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार होगी।

(3) 1 नवम्बर 2002 को तथा उसके बाद से यदि कोई अधिकारी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जो समूह A और समूह B तहत आने वाले परियोजना क्षेत्रों के अंदर सेवारत है तो वे परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए समूह A तथा समूह B के लिए क्रमशः रुपए 210 प्रति माह अथवा रुपए 185 प्रति माह की दर से भुगतान प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(4) 1 जनवरी 2004 को तथा उसके बाद से यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण शैक्षणिक वर्ष के मध्य में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है तथा उसके एक या एक से अधिक बच्चे पिछली तैनाती के स्थान में स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ रहे हों तो स्थानांतरित स्थान में रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक वह रुपए 500 प्रति माह की दर से, पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों के संबंध में, मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

इसके साथ ही यह भी कि यदि सभी बच्चे पिछली तैनाती के स्थान पर पढ़ाई रोक देते हैं तो ऐसे भत्ते भी रोक दिए जाएँगे।

(5) 1 जून 2005 को तथा उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो जिस पद के लिए उसे प्रतिनियुक्त किया गया है उस प्रतिनियुक्ति के पद की परिलब्धियों को प्राप्त करने का वह चुनाव कर सकता है अथवा वह अपने वेतन के 7.75% की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है बशर्ते यह रुपए 1500/- प्रति माह से अधिक न हो और साथ ही वह ऐसे अन्य भत्ते भी प्राप्त कर सकेगा, जो कि उसी स्थान पर बैंक की सेवा में उसकी तैनाती होने की स्थिति में उसे प्राप्त होते।

इसके साथ ही वह जिस संस्था के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है वह ऐसे क्षेत्र में आता है जहां कि वह अधिकारी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले नियुक्त था तो उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता उसके वेतन के 4% की दर से, अधिकतम रुपए 750 प्रति माह अदा किया जाएगा :

इसके साथ ही यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सहायता के लिए प्रतिनियुक्त किया गया हो तो वह अपने वेतन के 4% की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा जो कि अधिकतम रुपए 750 प्रतिमाह होगा।

(6) यदि किसी अधिकारी को अपने से उच्चतर वेतनमान वाले पद पर लगातार सात दिन तक अथवा एक कैलेंडर माह में कम से कम कुल मिला कर सात दिन तक स्थापन्न रूप से काम करना पड़ा हो तो जितनी अवधि के लिए उसने स्थानापन्न अधिकारी के रूप में कार्य किया है, उस अवधि के लिए उसे समानुपातिक आधार पर, उसके मूल वेतन के 6% के बराबर, स्थानापन्न भत्ता प्राप्त होगा और यह स्थानापन्न भत्ता, उसकी भविष्य निधि तथा पेंशन मात्र के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

इसके साथ ही, विनियमन 6 के अधीन पदों के वर्गीकरण की समीक्षा मात्र के परिणामस्वरूप यदि कोई अधिकारी अपने से उच्चतर स्केल के पद में स्थानापन्न रूप से आता हो तो वर्गीकरण समीक्षा के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की तक वह स्थानापन्न भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) यदि किसी अधिकारी को ऐसी शाखा में तैनाती दी जाती है, जहाँ कि 1 अप्रैल और 30 सितंबर को लेखाबंदी होती है तो उसे दोनों ही लेखा-बंदी के लिए, लेखा बंदी भत्ता रुपए 250 प्रत्येक देय होगा।

(8) 1 नवम्बर 2002 से एक दिन के दौरान, कार्य-समय में यदि न्यूनतम दो घंटों का अंतराल आता हो तो वह अधिकारी रुपए 125 प्रति माह की दर से स्प्लिट ड्यूटी भत्ता देय होगा।

(9) यदि अधिकारी को छुट्टी के दिन तिजोरी या लॉकर के अभिरक्षक के रूप में काम करने के लिए आवश्यक है, तो वह दैनिक भत्ता के लिए पात्र होगा जिसके लिए वह हकदार है।

(10) 01 नवंबर, 2002 को तथा 01 नवंबर, 2002 से अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र एवं ईंधन भत्ता हेतु नीचे दी गई तालिक के अनुसार पात्र होगा:-

स्थान	दर
(i) 3000 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु. 1150 प्रतिमाह
(ii) ख) 1500 मीटर और इससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु. 500 प्रतिमाह
(iii) 1000 मीटर और इससे परंतु 1500 मीटर व मरकरा शहर से कम ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 2.0% अधिकतम रु. 400 प्रतिमाह

सारणी

नोट: (क) ऐसे स्थान जिसकी ऊंचाई 750 मीटर से कम नहीं है और चारो तरफ से ऊँची पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जहाँ पहुँचने के लिए के 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई को पार करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ तैनात अधिकारियों को को दिए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र एवं ईंधन भत्ते का भुगतान केन्द्र में 1000 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई पर तैनात अधिकारियों को देय भत्ते के अनुसार होगा ।

(ख) वर्तमान में किसी भी केंद्र द्वारा दिए जाने वाला पर्वतीय क्षेत्र एवं ईंधन भत्ता जो उपर्युक्त वर्गीकरण के तहत नहीं आता है उसे ऊपर वापस ले लिया जाना माना जायेगा:

बशर्ते कि वह अधिकारी जो 01 मई 1989 से पहले तथा इसके बाद भी उस स्थान पर तैनात है तो ऐसी स्थिति में 30 अप्रैल 1989 को उसके द्वारा आहरित किए जाने वाले भत्ता राशि को संरक्षित किया जायेगा तथा उसे हर महीने तब तक भुगतान किया जाएगा जब तक कि वह उसी केन्द्र पर तथा एक समान वेतनमान पर तैनात रहता है ।

8. उक्त विनियमन में, विनियमन 24 के बदले में निम्नलिखित विनियमन लागू होगा :-

24. चिकित्सा सहायता :-

(1) अधिकारी द्वारा स्वयं एवं अपने परिवार पर वास्तविक रुप से खर्च किए गए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नानुसार पात्र होगा:-

(क) चिकित्सा खर्च :- अधिकारी जो बैंक अधिकारियों की सूची में शामिल है वह 1 फरवरी 2004 को तथा 1 फरवरी 2004 से स्वयं एवं अपने परिवार पर खर्च किये गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का पात्र होगा यदि वह अधिकारी नीचे दिए गए सारणी के अनुसार खर्च की गयी राशि के लिए दावा करता है तथा एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है जिसमें उसके दावा की गयी राशि का लेखा-विवरण समर्थन के रुप में दिया गया हो :-

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन एवं मध्यम प्रबंधन श्रेणी	रू 3750 या खर्च की गयी राशि में से जो भी कम हो ।
वरिष्ठ प्रबंधन एवं शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रू 5000 या खर्च की गयी राशि में से जो भी कम हो ।

सारणी

नोट: (i) अधिकारी द्वारा नही ली गयी चिकित्सा सहायता को संचित करने के लिए अनुमति दिया जा सकता है बशर्ते कि यह राशि किसी भी समय उपर उल्लिखित अधिकतम राशि की तीन गुना से अधिक न हो ।

(ii) चिकित्सा सहायता योजना के तहत वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति राशि को 11 माह तक यानि फरवरी 2004 से दिसंबर 2004 तक के लिए आनुपातिक रुप से बढ़ाया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :- उपर्युक्त विनिमयन की सुविधा के लिए अधिकारी के परिवार से आशय विनिमयन 3 के खण्ड (एफ) में परिभाषित परिवार के अनुसार होगा.

(ख) (i) अधिकारी के मामले में अस्पताल में भर्ती होने पर किए गए कुल खर्च का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगा तथा परिवार के सदस्यों के मामले में जहाँ अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, किए गए कुल खर्च का 75% प्रतिपूर्ति होगा ।

(ii) इस विनिमयन के तहत 01 मई 2005 को तथा 01 मई 2005 से अधिकारी को अस्पताल में भर्ती के दौरान किए गए कुल खर्च की प्रतिपूर्ति, द्विपक्षीय समझौता, दिनांकित 02 जून 2005 में कर्मचारियों के लिए उल्लिखित अस्पतालवास योजना के नियम व शर्तों के तहत होगा और इसकी सीमा नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार होगा:-

सारणी

कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल I एवं **मध्यम प्रबंधन श्रेणी** स्केल II एवं स्केल III	(i) बेड शुल्क स्वयं के लिए : रू 600 प्रतिदिन परिवार के लिए : रू 450 प्रतिदिन **(ii) अन्य शुल्क** अन्य शुल्क की सीमा 125% के स्केल पर कर्मचारियों के लिए लागू अस्पतालवास योजना में निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।
वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल IV एवं स्केल V एवं शीर्ष कार्यपालक श्रेणी स्केल VI एवं स्केल VII	**i) बेड शुल्क** स्वयं के लिए : रू 800 प्रतिदिन परिवार के लिए : रू 600 प्रतिदिन **(ii) अन्य शुल्क** अन्य शुल्क की सीमा 150% के स्केल पर कर्मचारियों के लिए लागू अस्पतालवास योजना में निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।

(2) उपर्युक्त उप-विनियमन (1) में उल्लिखित चिकित्सा सुविधा तथा इसका पूर्ण प्रतिस्थापन के होते हुए भी (अस्पतालवास आदि को शामिल करते हुए) बोर्ड नियुक्ति के समय यह सुविधा उपलब्ध होने पर बोर्ड चिकित्सा सुविधा की यथा-स्थिति को बनाए रखने का निर्णय ले सकता है (अस्पतालवास आदि को शामिल करते हुए) और यदि बोर्ड ऐसा निर्णय लेता है तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा सुविधा स्वीकृत करने के लिए नियुक्त बोर्ड की तारीख से तथा सिर्फ इसके तहत निहित नियम व शर्तों के अनुसार सभी अधिकारी, चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे (अस्पतालवास आदि को शामिल करते हुए) .

(3) मेडिकल सहायता और अस्पतालवास की सुविधा निलंबित अधिकारियों को भी प्राप्य होगा।

9. उपर्युक्त उल्लिखित विनियमावली के विनियमन 25 को निम्नलिखित विनियमन से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

25. आवासीय सुविधा :- कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली आवासीय सुविधा को अधिकार के तौर पर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(2) यह बैंक के उपर निर्भर करता है कि बैंक एक अधिकारी को आवासीय सुविधा, 01 नवंबर, 2002 से लागू किराया नियम के अनुसार वेतनमान के प्रथम स्टेज़ के मूल वेतन का 1.75% या मानक किराया या इसमें से जो भी कम हो, का भुगतान कराकर प्राप्त प्रदान करे।

बशर्ते कि जब

बशर्ते कि जहां ऐसे आवास में अधिकारी को फर्नीचर प्रदान किया गया है तो, जिस स्थान पर वह तैनात है वहां के वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.4 प्रतिशत की समतुल्य राशि बैंक द्वारा उस अधिकारी से वसूली की जाएगी:

बशर्ते कि जब बैंक द्वारा इस प्रकार की आवासीय सुविधा एक अधिकारी को प्रदान किया जाता है तो बिजली, पानी, गैस तथा वातवरण संरक्षण शुल्क का भुगतान अधिकारी द्वारा किया जाता है।

10. (i) उपर्युक्त उल्लिखित विनियमावली के विनियमन 41 के उप विनियमन (1) को निम्नलिखित उप विनियमन से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(1) 02 जून 2005 को तथा 02 जून 2005 से ड्यूटी के दौरान, यात्रा के समय एक अधिकारी निम्नलिखित के लिए पात्र होगा :-

(i) जूनियर प्रबंधन श्रेणी में एक अधिकारी, ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित 2 टियर स्लीपर में यात्रा करने का हकदार है। तथापि यदि सक्षम प्राधिकारी अनुमति प्रदान करते है तो वह बिजिनेस के उद्देश्य से या लोक हित के लिए एयरोप्लेन से भी यात्रा (इकोनामी क्लास) कर सकता है।

(ii) मध्यम प्रबंधन श्रेणी में एक अधिकारी, ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित 2 टियर स्लीपर में यात्रा करने का हकदार है या यात्रा की दूरी 1000 किमी से अधिक है तो वह एयरोप्लेन से भी यात्रा (इकोनामी क्लास) कर सकता है या कम दूरी के लिए यदि सक्षम प्राधिकारी अनुमति प्रदान करते है तो वह बिजिनेस के उद्देश्य से या लोकहित के लिए एयरोप्लेन से भी यात्रा (इकोनामी क्लास) कर सकता है।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी, ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी में या एयरोप्लेन से यात्रा (इकोनामी क्लास) कर सकता है।

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी ऐसे स्थानों की यात्रा कार द्वारा कर सकता है जो ट्रेन या हवाई सुविधा से जुड़ा हुआ नहीं है बशर्ते कि यह दूरी 500 किमी से अधिक न हो तथा जब दो स्थानों के बीच की दूरी का एक बड़ा हिस्सा एयरोप्लेन या ट्रेन द्वारा तय की जाती है तो बचे हुए शेष दूरी को सामन्यतया कार द्वारा तय किया जाना चाहिए ।

(v) यदि किसी भी अधिकारी द्वारा कारोबार उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्रा करना है तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हे स्वंय की गाड़ी, टैक्सी या बैंक की गाड़ी द्वारा जाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है ।

10. (ii) उप विनियमन (4) में क्लॉज (क) के बदले में निम्नलिखित क्लॉज लागू होगा :-

(क) विराम भत्ता : 01 जून 2005 को व 01 जून 2005 से एक ऑफिसर, नीचे दिए गए सारणी में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार दैनिक विराम भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :

सारणी

अधिकारियों की श्रेणी /वेतममान	प्रमुख A क्लास शहर	क्षेत्र - I	अन्य स्थान
1		2	
वेतनमान 4 एवं उपर के अधिकारियों के लिए	रू 600	रू 550	रू 500
वेतनमान 1/2/3 के अधिकारियों के लिए	रू 550	रू 500	रू 400

बशर्ते कि वेतनमान 4 व उससे उपर के अधिकारी यदि अपनी नियुक्ति स्थल से बाहर चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकता और चेन्नई में कार्य निर्वहन के लिए जाते हैं तो उन्हें प्रतिदिन रू 700/- विराम भत्ता के रुप में दिया जायेगा ।

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 4 घंटे से अधिक हो लेकिन 8 घंटे से कम हो तो विराम भत्ते का भुगतान उक्त दरों की आधी दरों पर किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण: दैनिक विराम भत्ते के गणना के उद्देश्य से प्रतिदिन विराम भत्ते का अर्थ 24 घंटे या उसके भाग से है, जिसकी गणना हवाई यात्रा के संबंध में प्रस्थान करने के लिए रिपोर्ट करने के समय से तथा अन्य मामलों में प्रस्थान की निर्धारित समय से आरम्भ कर वापस आने के वास्तविक समय तक की जायेगी । जहां अनुपस्थिति का कुल समय 24 घंटे से कम हो वहाँ प्रतिदिन विराम भत्ते का अर्थ कुल अवधि का 08 घंटे से कम का न होना ।

11. उपर उल्लिखित विनियमावली के विनियमन 42 के उप विनियमन (3) के बदले में निम्नलिखित उप विनियमन लागू होगा:-

01 अप्रैल 1997 को तथा 01 अप्रैल 1997 से स्थानांतरण पर अधिकारी को पैंकिंग, स्थानीय परिवहन व सामान के बीमा इत्यादि व्ययों के लिए सारणी में नीचे दर्शाई गई एक मुश्त राशि देय होगी ।

सारणी

अधिकारी की श्रेणी / वेतनमान	एक मुश्त राशि (रुपये)
वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी एवं शीर्ष कार्यपालक श्रेणी (वेतनमान 4 एवं ऊपर के अधिकारी)	रू 5000
कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी एवं मध्यम प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान I/II/III के अधिकारी)	रू 4000

बशर्ते कि 01 मई 2005 को एवं 01 मई 2005 से इस उप - विनियमन के प्रावधान लागू होंगें और रू 5000 एवं रू 4000 के बदले में अंकों एवं शब्दों में क्रमश: रू 8750 एवं रू 7000 प्रतिस्थापित किया गया है ।

12. उपर उल्लिखित विनियमावली के विनियमन 44 के बदले में निम्नलिखित विनियमन लागू होगा:-

44 अवकाश यात्रा सुविधा :

(1) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में अधिकारी प्रत्येक दो वर्ष के ब्लॉक में अपने अधिवास तक के लिए अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त कर सकेगा या वैकल्पिक रुप से दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने अधिवास तथा दूसरे दो वर्ष के ब्लॉक में भारत के किसी भी स्थान की लघुत्तम मार्ग से यात्रा कर सकता है ।

(2) वैकल्पिक रुप से अधिकारी चारा वर्षीय ब्लॉक अथवा दो वर्षीय ब्लॉक, जैसा भी मामला हो, के दौरान किसी भी समय ब्लॉका छोड़ने का विकल्प दे सकता है औअर अपनी अवकाश यात्रा सुविधा (अधिवास यात्रा के अतिरिक्त) का नकदीकरन करा सकता है । वह ट्रेन द्वारा यात्रा की श्रेणी के पात्र किराए के 75% के बराबर राशि प्राप्त करने का पात्र होगा जो कि कनिष्ठा .प्र. प्रबंधन श्रेणी I एवं मध्यम प्रबंधन श्रेणी –II एवं III के लिए पात्र दूती 4500 किमी तथा वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी IV एवं उससे उपर के अधिकारी के लिए 5500 किमी (एक तरफ) तक की पात्रता है ।

अधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा के नकदीकरण का विकल्प देते हुए स्वयं /और अपने परिवार के सदस्यों का एक ब्लॉक वर्ष के दौरान केवल एक बार ऐसे नकदीकरण ला लाभ उठा सकते हैं । अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा का लाभ एलटी सी नकदीकरण सुविधा लाभ के साथ भी उठाया जा सकता है ।

(3) अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकारी यात्रा के उसी साधन और श्रेणी का पात्र होगा जिससे सामान्यत: अधिकारी स्थानांतरण पर यात्रा के लिए अनुमत है, अवकाश यात्रा लकी अन्य नियम एवं शर्ते बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी ।

(4) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में जब अधिकारी अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग करता है तो उसे प्रिविलेज अवकाश को सरेंडर करने तथा इसको नकदीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है जबकि प्रिविलेज अवकाश दिनों की संख्या एक बार में 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए या दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने अधिवास तक तथा दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी अन्य स्थान पर यात्रा कर सकता है तथा प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 15 दिनों की या एक ब्लॉक में 30 दिनों की प्रिविलेज अवकाश को नकदीकरण करने हेतु अनुमति दी जा सकती है और छुट्टी नकदीकरण हेतु कुल देय परिलब्धियां, जिस माह के दौरान अवकाश यात्रा सुविधा लिया गया हो, स्वीकार्य होगा ।

बशर्ते कि अधिकारी के इच्छानुसार प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने के लिए 01 दिन की अतिरिक्त प्रिविलेज अवकाश को नकदीकरण हेतु अनुमति प्रदान किया जा सकता है और इस संबंध में अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए उस राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में विप्रेषित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत करना होगा ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (ऑफिसर) सेवा विनियमन 1979 की अनुसूची

विनियमन 23 का उप विनियमन (2) को देखें

1 नवम्बर 2002 से एक अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ता पाने के लिए के लिए पात्र होगा जब तक कि नीचे सारणी में दर्शाए गए क्षेत्रों को पूरी तरह या आंशिक रूप से संशोधित या हटा नहीं दिया जाता है :-

सारणी

क्र.सं.	कॉलम 1	कॉलम 2	
		रू 10000 से रू 14000 तक वेतन	रू 14001 से अधिक तक वेतन
(vi)	**मिजोरम**		
	(क) मिजोरम का चिम्पुटीपुइ जिला और मिजोरम के लुंगलेई जिले में लुंगलेई टाउन से 25 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र ।	रू 1000/-	रू 1300/-
	(ख) पूरे लुंगलेई जिले में मिजोरम के लुंगलेई टाउन से 25 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों में ।	रू 800/-	रू 1050/-
	(ग) मिजोरम के आइजोल जिले के संपूर्ण क्षेत्र में ।	रू 600/-	रू 750/-
2.	**नागालैंड**	रू 800/-	रू 1050/-
3.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	रू 1000/-	रू 1300/-
	(क) नार्थ और मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार तथा नारकोंडम द्वीप समूह । (ख) साउथ अंडमान (पोर्ट ब्लैयर सहित)	रू 800/-	रू 1050/-

4.	**सिक्किम**	रू 1000/-	रू 1300/-
5.	**लक्षद्वीप द्वीप समूह**	रू 1000/-	रू 1300/-
6.	**आसाम**	रू 160/-	रू 200/-
7.	**मेघालय**	रू 160/-	रू 200/-
8.	**त्रिपुरा**		
	(क) त्रिपुरा के मुश्किल क्षेत्र ।	रू 800/-	रू 1050/-
	(ख) त्रिपुरा के संपूर्ण क्षेत्र में सिर्फ मुश्किल क्षेत्रो को छोड़कर	रू 600/-	रू 750/-
9.	**मणिपुर**	रू 600/-	रू 750/-
10.	**अरुणाचल प्रदेश**		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र ।	रू 1000/-	रू 1300/-
	(ख) अरुणाचल प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में सिर्फ मुश्किल क्षेत्रो को छोड़कर	रू 800/-	रू 1050/-
11.	**जम्मू व कश्मीर**		
	1) कठुआ जिला (क) नियाबत बनी (ख) लोही (ग) मल्हार (घ) मचोडी	रू 1000/-	रू 1300/-
		रू 10000 से रू 14000 तक वेतन	रू 14001 से अधिक तक वेतन
	2) (क) उधमपुर जिला : (i) डूडु बसंतगढ़ (ii) लैंडर भामग इल्लाका (iii) ठकराकोट	रू 1000/-	रू 1300/-
	(iv) नगोट	रू 1000/-	रू 1300/-
	(ख) 2 (सी) में शामिल क्षेत्रो को छोड़कर मोहरे तहसील के सभी क्षेत्र	रू 800/-	रू 1050/-
	(ग) कम्बन से गोयल तक का क्षेत्र तथा मोहरे तहसील में किएसी साइड से लेकर अरमस तक का क्षेत्र		
	3) डोडा जिला किश्तवार तहसील में पैडर और नैबत का इलाका	रू 1000/-	रू 1300/-
	4) लेह जिला जिले का सभी क्षेत्र	रू 1000/-	रू 1300/-
	5)बारामूला जिला (क) सम्पूर्ण गुरेज – निरबत, तंगदार उप डिविजन तथा केरन इलाका (ख) माचिल	रू 1000/-	रू 1300/-
	6) पूंछ और रजौरी जिला:	रू 800/-	रू 1050/-
	पूंछ और रजौरी जिले के सभी क्षेत्र सिर्फ पूंछ, रजौरी और सुंदरबनी के टाउन ऐरिया तथा दोनो जिलों के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर ।	रू 600/-	रू 750/-

	7) वह क्षेत्र जो उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 6 में शामिल नहीं है लेकिन जो वास्तविक लॉइन ऑफ कंट्रोल क्षेत्र से 08 किमी के दायरे में है या वे स्थान, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अपने स्टॉफ सदस्यों के लिए पर बार्डर भत्ता देने हेतु पात्र स्थान के रुप में घोषित किए जाते हैं।	रू 600/-	रू 750/-
12.	**हिमाचल प्रदेश**		
	(vii) चम्बा जिला	रू 1000/-	रू 1300/-
	1. क. पंगी तहसील		
	1. ख. भरमौर तहसील के निम्नलिखित पंचायत एवं गाँव		
	(i) पंचायत : बडगाँव, बजोल, देयोल कुगती, नयागाम और टुण्डा	रू 800/-	रू 1050/-
	(ii) गाँव : जगत पंचायत के तहत घाटु गाँव, चौहट्टा ग्राम पंचायत के तहत कनारसी गाँव		
		रू 10000 से रू 14000 तक वेतन	रू 14001 से अधिक तक वेतन
	2) भरमौर तहसील, उपर उल्लिखित पैरा 1. ख. में शामिल गाँवों को छोड़कर।	रू 600/-	रू 750/-
	3) भतियात तहसील के अंतर्गत झंड्र पंचायत, चुरा तहसील, डलहौजी टाउन (बनीखेत मुख्य क्षेत्र को छोड़कर)		
	(2) किन्नौर जिला :		
	(viii) असरंग/चितकुल/ तथा हांगो कुनो/ चरंग पंचायत, घोटा खम्बा पंचायत को शामिल करते हुए 15/20 एरिया,नथपा व रुपी, पुह उप डिविजन वोजन, उपर विनिर्दिश्ट पंचायत एरिया को छोड़कर।	रू 1000/-	रू 1300/-
		रू 800/-	रू 1050/-
	(ix) उपर उल्लिखित (क) में शामिल एरिया को छोड़कर संपूर्ण जिला		
	(3) कुल्लू जिला		
	3.क. खर्गा, कुशावर,और सर्गा ग्राम पंचायत क्षेत्र को शामिल करते हुए निरामंद तहसील का 15/20 एरिया ,नथपा व रुपी, पुह उप डिविजन वोजन, उपर विनिर्दिश्ट पंचायत एरिया को छोड़कर।	रू 1000/-	रू 1300/-
	3. ख. बाहरी सिराज (जकात खाना के गाँवों और निरमंद तहसील के ब्यूरो को छोड़कर) तथा बहरी सिराज को छोड़कर सम्पूर्ण जिला तथा पंद्राबीस परगना (जकात खाना के गाँवों और निरमंद तहसील के ब्यूरो को शामिल करते हुए)	रू 600/-	रू 750/-
	4. लाहौल और स्पिति जिला : लाहौल और स्थिति जिला का संपूर्ण एरिया।	रू 1000/-	रू 1300/-

	5. शिमला जिला :		
	क) खूट, लबाना-सदाना, सरपारा,और चादी ब्रांदा ग्राम पंचायत क्षेत्र को शामिल करते हुए रामपुरा तहसील का 15/20 एरिया ।	रू 1000/-	रू 1300/-
	ख) दोदरा-कवार तहसील, रामपुर में दरकली ग्राम पंचायत,काशपथ तहसील, औअर सराहन परगना का मुनीश और घोरी चैबीस क्षेत्र ।	रू 800/-	रू 1050/-
	ग) चोपाल तहसील और घोरीस, पंजगाँव, नौबीस, और सराहन परगना का तीन कोठी,तकलेश एरिया का देवती ग्राम पंचायत, बारबीस परगना, रामपुर कस्बा,रामपुर तहसील में घोरी नाग परगना, शिमला टाउन और इसके अंतर्गत आने वाले उपनगर (धाली, जतोग, कसुमपती, मशोबरा, तारा देवी और टूट्) ।	रू 600/-	रू 750/-
	(6) कांगरा जिला:		
	(x) छोटा भंगल और बड़ा भंगल का एरिआ |		
	ख) कांगरा जिले का धर्मशाला शहर, नगर पालिका क्षेत्र से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय लेकिन धर्मशाला टाउन मे स्थित महिला आइटीआइ दरी को शामिल करते हुए, यांत्रिक कारखाना, रामनगर, चाइल्द वेलफेयर, और टाउन तथा कंट्री प्लानिंग ऑफिस, सकोह, लोअर सकोह में स्थित, कांगरा मिल्क सप्लाइ योजना, डूजिअर, एच आर टी सी वर्कशॉप, साधेर, जोनल मलेरिया ऑफिस,दरी, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ऑफिस, शामनगर, टी फैक्टरी, दरी आइ पी एच उप डिविजन, डान, सेटिलमेंट ऑफिस, शामनगर, बिनवा प्रोजेक्ट्स, शामनगर. पालमपुर स्थित एचपीकेवीवी कैम्पस को शामिल करते हुए कांगरा जिले में स्थित पालमपुर टाउन तथा निम्नलिखित कार्यालय जो नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित है लेकिन पालमपुर टाउन में शामिल है, एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, कैटल डेवलेपमेंट ऑफिस/जर्सी फार्म, बनूरी, सेरीकलचर ऑफिस/इण्डो जर्मन कृषि कारखाना, एचपीपीडब्ल्यूडी डिविजन, बुन्दला, इलेक्ट्रिकल उप-डिविजन, लोहना, डीपीओ कॉरपोरेशन, बुन्दला इलेक्ट्रिकल एचपीएसईई डिविजन, घुगर	रू 800/- रू 600/-	रू 1050/- रू 750/-
	(7) मंडी जिला:		
	जोगिन्द्र नगर तहसील स्थित छुहार घाटी, बागरा के थुआंग तहसील के अंतर्गत पंचायतें, चत्री, छोटधार, गरुगुशैन, गट्,, गयास, जनजेहली, जरयार, जोहर, कलहानी, कलवान, खोलानल, लोथ, सिलिबागी, सोमाचन, ठचधार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक का बिंगा पंचायत, कमला, सकलना, तन्यार, औअर ताराखोला, करसॉग तहसील का बालीधर पंचायत, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन औअर तेबन, सुन्दरनगर तहसील स्थित पंचायते जैसे:- बोही, बटवारा,धन्यारा, पौरा-कोठी, शेरी एवं शोजा ।	रू 600/-	रू 750/-

	(8) सिरमौर जिला: **क)** बानी के अन्तर्गत स्थित तहसीले, बखाली (पछछड़ तहसील), भरोगभेनरी (पोंगटा तहसील) बिरला (नहान तहसील), डिब्बर (पछछड़ तहसील) और थाना कसौगा (नाथन तहसील)।	रू 600/-	रू 750/-
	ख) थंसगिरी ट्रैक्ट	रू 600/-	रू 750/-
	(9) सोलन जिला: मंगल पंचायत	रू 600/-	रू 750/-
	(10) हिमाचल प्रदेश के वे क्षेत्र जो उपर दिए गए क्र.सं. 1 से 10 में शामिल नहीं हैं।	रू 160/-	रू 200/-

		रू 10000 से रू 14000 तक वेतन	रू 14001 से अधिक तक वेतन
13.	**उत्तर प्रदेश:** चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तर काशी जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। 2क) पिथौरागढ़ और उत्तर काशी (उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय को शामिल करते हुए) जिले के अंतर्गत आने वाले अन्य क्षेत्र। 2ख) चम्पावत जिला (लोहाघाट क्षेत्र को शामिल करते हुए) पिथौरागढ़ और उत्तर काशी (उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय को शामिल करते हुए) जिले के अंतर्गत आने वाले अन्य क्षेत्र।	रू 1000/-	रू 1300/-
14.	**उत्तरांचल :** रुद्रप्रयाग और चम्पावत जिले के अंतर्गत वाले क्षेत्र	रू 800/-	रू 1050/-

डी. पलनिसामी, महा प्रबन्धक

[विज्ञापन-III/4/असा./494/2020-21]

नोट : मुख्य विनियमन में किए गए संशोधन को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

क्र. सं.	**अधिसूचना संख्या**	**दिनांक**
1	31/पर्यवेक्षी/97	12.01.1988
2	31/पर्यवेक्षी/861	07.05.1988
3	31/पर्यवेक्षी/2139	29.09.1988
4	का.प्र.वि. /177/3/88	09.12.1989
5	का.प्र.वि. /177/1/89	09.12.1989

6	का.प्र.वि /177	05.03.1994
7	का.प्र.वि /177	21.07.1995
8	का.प्र.वि /177	17.08.1996
9	का.प्र.वि /177	19.11.1996
10	का.प्र.वि /177	12.05.1999
11	का.प्र.वि. /पर्यवेक्षी/177	14.10.1999
12	का.प्र.वि. /पर्यवेक्षी/177	17.06.2000
13	का.प्र.वि. /पर्यवेक्षी/177	08.09.2001
14	का.प्र.वि. /पर्यवेक्षी/177	21.12.2002
15	का.प्र.वि. /पर्यवेक्षी/177/49	08.06.2006

INDIAN OVERSEAS BANK

NOTIFICATION

Chennai, the 28th March, 2019

F. No . HRMD/SUP/177/001.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970),the Board of Directors of the Indian Overseas Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Indian Overseas Bank (Officers') Service (First Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the 2'[d] day of June 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.

2. In the Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979, (hereinafter referred

as the said regulations), in regulation 3, -

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely, -

(f) "Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children'(including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer';

(ii) for clause (o), the following clause shall be inserted, namely:-

(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs.2,550 per month'

Note: If the income of one of the parents exceeds Rs.2,550 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.2,550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on: the employee;'

3. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely:

'(4) On and from the 1st day of November 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under:-

(a) Top Executive Grade:

Scale- VII – Rs.29340-680/2-30700— 900/1-31600- 1000/1-32600

Scale –VI – Rs.26620-680/4-29340

(b) Senior Management Grade

Scale- V – Rs.24140-620/4-6620

Scale – IV – Rs.20480-560/1-21040- 620/5-24140

(c) Middle Management Grade

Scale – III – Rs.18240-560/5-21040- 620/2-22280

Scale –II - Rs.13820-500/1-14320- 560/10-19920

(d) Junior Management Grade

Scale- I - Rs.10000-470/6-12820-500/3- 14320-560/7-18240

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2002 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise;

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the bank to have at all times, officers serving in all these grades.'

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely: -

'5. Increments. — (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4)

of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: -

(a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government;

(c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs.560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.620 for officers in the last stage of Scale III;

Provided that on and from the 1st day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment:

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation: (a) in the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

(b) on and from the 1 st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year of which Rs. 75 shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed: both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 100 per month after one year, of which Rs. 75 shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs.250 per month after two years, of Which Rs. 200 shall rank for superannuation benefits.

(c) On and from 1st day of November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below:-

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed: both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale; (ii) Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale:

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) on and from the 1st day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Instituteof Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale; (ii) Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

(e) on and from the 1st day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale; (ii)Rs.750 per month after two years on reaching maximum of the Scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note : (i) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers/Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii)on and from the 1St day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and superannuation benefits.

(iii)an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.

(iv)if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.

(v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

(3)(a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November, 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on1.11.1993 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.0	411

(c) on and from the 1st day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1997 on the increment component	otal Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(d) on and from the 1s' day of November 2004, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.2002 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

Note: (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the tables in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of regulation 4 is earned.

(iii) on and from the 1st day of November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a)

above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale'

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

`(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under:

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(b) during the period from the 1st day of November, 2002 to 31st day of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates:-

(i) 0.18% of 'pay' upto Rs.9,650 plus

(ii) 0.15% of 'pay' above Rs.9,650 and upto Rs.15,350 plus

(iii) 0.09% of 'pay' above 15,350 and upto Rs.16,350 plus

(iv) 0.04% of 'pay' above Rs.16,350

(c) on and from the 1st day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note: (A) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall

mean basic pay including Stagnation Increments.

(B)Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e)

to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.'

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely:-

`22. House Rent Allowance — (1) (a) on and from the 1st day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(I)	(2)
(i) Major 'A' class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	9% of the pay per month.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	8% of the pay per month.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above	7% of the pay per month.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

(2)(a) On and from the 1st day of November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	House Rent Allowance payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below:-

(A)

The aggregate of: -

(i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation:

(1) For the purpose of this regulation "standard rent" means: -

(a) in the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government:

(b) where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above, whichever is lower.

(2) "Pay" for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.

(3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.

(4) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) of this regulation and regulation 23, Area I and Area II shall mean as under: -

Area 1 - Places with a population of more than 12 lakhs

Area II - All places not included in Area — I.'

7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely: -

`23. Other Allowances:

(1) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely,

Places	Rates
(1)	(2)
Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month
(a) Places with population of 5 lakhs and over and State (b) Capitals and Chandigarh,	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month.

	Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	
(c)	Other places	Nil

TABLE

(2) On and from the 1st day of November, 2002, the rates of special area allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.

(3) On and from the 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the l st day of January, 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying:

Provided that such allowance shall cease if all the children cease

studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month.

(6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

(7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st of April and 30th September, a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.

(8) On and from the 1st day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.125 per month

(9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.

10) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1150 per month

(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2 1/2% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month
(iii) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month.

Note : (a) officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn:

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.'.

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely:-

`24. Medical Aid:-

(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely:-

(a) Medical Expenses:- On and from the 1st day of February, 2004 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 3750 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.5000 or the amount incurred whichever is less

Note : (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months, i.e. from February 2004 to December 2004.

Explanation: - "Family" of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (f) of regulation 3.

(b)(i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the Case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

(ii) on and from the 1st day of May, 2005, reimbursement of hospitalisation expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2nd day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self — Rs.600 per day. Family — Rs.450 per day. (ii) Other charges — At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.

(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i) Bed Charges Self — Rs.800 per day. Family — Rs.600 per day. (ii) Other charges — At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc.) specified in sub-regulation (1) above, and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization, etc.) as available in the Bank on the appointed /date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalization, etc.)

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.'

9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

`25. Residential Accommodation.- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:.

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.'.

10. (i) In the said regulations, in regulation 41, - for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

`(1) On and from the 2nd day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely:-

(i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by I st Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class).

(iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km. and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

(v) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

(ii) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

(a) Halting Allowance- On and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to 'per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV and above	Rs. 600	Rs. 550	Rs. 500
Officers in Scale I/II/III	550	500	400

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation: For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.'

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

‘(3) On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely,

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.5,000
Middle Management and Junior Management	Rs.4,000

Provided that on and from the first day of May, 2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs.5000"and "Rs.4000", the letters, words and figures "Rs.8750" and "Rs.7000" had been respectively substituted.'

12.In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely:-

`44 Leave Travel Concession:

(1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than

travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 4500 kms. (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II and III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time.

(4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible.:

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.'

"Schedule to Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Column 1	Column 2	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/-	**Pay from Rs.14,001 and above**
1.	**Mizoram**	(Rs.)	(Rs.)
	(a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	1000/-	1300/-
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	800/-	1050/-
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	600/-	750/-
2.	**Nagaland**	800/-	1050/-
3.	**Andaman and Nicobar Islands**		
	(a) North & Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar & Narcondum Islands	1000/-	1300/-
	(b) South Andaman (including Port Blair)	800/-	1050/-
4.	**Sikkim**	1000/-	1300/-
5.	**Lakshadweep Islands**	1000/-	1300/-

Sr. No.	Column 1	Column 2	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/-	**Pay from Rs.14,001 and above**
6.	**Assam**	160/-	200/-
7.	**Meghalaya**	160/-	200/-
8.	**Tripura**		
	(a) Difficult areas of Tripura	800/-	1050/-
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	600/-	750/-
9.	**Manipur**	600/-	750/-
10.	**Arunachal Pradesh**		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	1000/-	1300/-
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	800/-	1050/-
11.	**Jammu and Kashmir**	1000/-	1300/-
	1) Kathua District:		
	a) Niabat Bani,		
	b) Lohi,		
	c) Malhar		
	d) Machhodi		
	2) a) Udhampur District:	1000/-	1300/-
	(i) Dudu Basantgarh,		
	(ii) Lander Bhamag Illaqa,		
	(iii) Thakrakote		
	(iv) Nagote		
	b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c).	1000/-	1300/-
	c) Areas up to Goel from Kamban Side and areas up to Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	800/-	1050/-
	3) Doda District:	1000/-	1300/-
	Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil		
	4) Leh District :	1000/-	1300/-
	All places in the District		
	5) Barmulla District		
	a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa	1000/-	1300/-
	b) Matchill		
	6) Poonch and Rajouri District :	800/-	1050/-
	Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	600/-	750/-
	7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	600/-	750/-

Sr. No.	Column 1	Column 2	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/-	**Pay from Rs.14,001 and above**
12.	**Himachal Pradesh**		
	(1) Chamba District	1000/-	1300/-
	1.a Pangi Tehsil		
	1.b. Following Panchayats and Villages of Bharmour Tehsil		
	(i) Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah	800/-	1050/-
	(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
	2) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 1.b. above.	600/-	750/-
	3) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil,Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).		
	(2) Kinnaur District:	1000/-	1300/-
	a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats,15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	800/-	1050/-
	b) Entire District other than Areas included in (a) above.	1000/-	1300/-
	(3) Kullu District:		
	3.a. 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga		
	3.b. Outer-Seraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	600/-	750/-
	(4) Lahaul and Spiti District :		
	Entire area of Lahaul and Spiti	1000/-	1300/-
	(5) Shimla District :		
	a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	1000/-	1300/-
	b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	800/-	1050/-
	c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	600/-	750/-
	(6) Kangra District:		
	a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	800/-	1050/-

Sr. No.	Column 1	Column 2	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/-	**Pay from Rs.14,001 and above**
	b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Binwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar.	600/-	750/-
	(7) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil- of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja. (8) Sirmaur District: a. Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil). b. Thansgiri Tract (9) Solan District: Mangal Panchayat. (10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	600/- 600/- 600/- 160/-	750/- 750/- 750/- 200/-
13.	**Uttar Pradesh:** Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts: 2.a. Other area of District Pithoragarh and Uttar Kashi (including District Headquarters of Uttar Kashi) 2.b. Champawat District (including area of Lohaghat).	1000/-	1300/-
14.	**Uttaranchal** Areas under Rudraprayag and Champavat Districts.	800/-	1050/-

D. PALANISAMY, General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./494/2020-21]

Note : The amendments to the principal regulations were published in the Gazette of India as per details given below:

S. No.	Notification Number	Dated
1	31/SUP/97	12.01.1988
2	31/SUP/861	07.05.1988
3	31/SUP/2139	29.09.1988
4	PAD/177/3/88	09.12.1989
5	PAD/177/1/89	09.12.1989
6	PAD/177	05.03.1994
7	PAD/177	21.07.1995
8	PAD/177	17.08.1996
9	PAD/177	19.11.1996
10	PAD/177	12.05.1999
11	PAD/SUP/177	14.10.1999
12	PAD/SUP/177	17.06.2000
13	PAD/SUP/177	08.09.2001
14	PAD/SUP/177	21.12.2002
15	PAD/SUP/177/49	08.06.2006

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2021.02.08 23:34:16 +05'30'